कृषि विपणन विभाग, राजस्थान सरकार
नागरिक अधिकार पत्र

उद्धेश्य

- कृषकों को उपज का उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलवाना।
- अवैध कटौतियों से कृषको को मुक्त कराना।
- कृषकों को उपभोक्ता द्वारा देय मूल्य में से अधिक से अधिक हिस्सा दिलवाना।
- उपभोक्ता को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- कृषि जिन्सों के विपणन को सुविधाजनक बनाने के लिए आधारभूत ढांचे की संरचना एवं सम्पर्क सडको द्वारा गांव एवं शहरों को जोडना।
- मण्डी प्रांगणों का कृषकों की सुविधानुसार विकास करना।
- विशिष्ट मण्डियॉ विकसित करना।
- कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन में मदद।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण

मण्डी क्षेत्र में कृषि जिन्सों/आदानों के क्रय–विक्रय की सुविधा

1. मण्डी यार्ड में खुली बोली के द्वारा जिन्स विक्रय किया जाता है।
2. माल को कांटे तक रखने के अलावा अन्य किसी प्रकार का खर्चा विक्रेता किसान से वसूल नहीं किया जाता है।
3. अधिकृत आढतिया/व्यापारी किसानों के कृषि जिन्स खुली निलामी/उचित विधि द्वारा क्रय कर सकता है।
4. उपभोक्ता कृषि जिन्स सीधे कृषक से क्रय कर सकता है। जिस पर मण्डी शुल्क देय नहीं होता है।
5. आढतिया/व्यापारी/पल्लेदार आदि कृषि उपज मण्डी समिति से अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यापार कार्य कर सकते है एवं व्यापार से संबंधित अन्य क्रियाओं में भाग ले सकते है।

कृषि विपणन की नियमन व्यवस्था

1. मण्डी प्रांगण में उपलब्ध पक्के नीलामी चबूतरे पर कृषक अपना माल क्रेता को खुली नीलामी पर बेच सकता है, अर्थात नीलामी चबूतरे का उपयोग कृषकों द्वारा किया जाता है।
2. कृषि उपज के बेचान के उपरान्त विक्रय पर्ची एवं अमानत पर रखी कृषि जिन्स की अमानत पर्ची कृषक को दी जाती है।

3. कृषि जिन्स के विक्रय के पश्चात विक्रय राशि का भुगतान कृषक को उसी दिन दिया जाता है।

मण्डी प्रांगण मे सुविधाएँ

1. कृषक मण्डी समितियों में बने कृषक विश्राम गृह एवं किसान भवन की सुविधा का उपयोग कर सकता है।
2. कृषक मण्डी यार्ड में बने कैटल शेड, छायादार वृक्ष व पेयजल व्यवस्था का उपयोग अपने स्वयं एवं पशु के लिए कर सकता है।
3. जलपान हेतु कियोस्क/केन्टीन व पीने के पानी के लिये प्याऊ की व्यवस्था मण्डी यार्ड में कृषक व्यापारी व उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है।

कृषकों/व्यापारियों/उपभोक्ताओं को कृषि जिन्सों के दैनिक भावों की जानकारी की सुविधा

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, व्यापारियों को माल क्रय–विक्रय में भाव की जानकारी हो तथा उपभोक्ता उचित दर पर माल क्रय कर सके, इसके लिए विभाग की परिज्ञान शाखा एवं मण्डी समिति से दैनिक भाव तथा साप्ताहिक परिज्ञान की सूचना प्रदर्शित की जाती है।

संविदा खेती

फलों, सब्जियों, औषधियॉ वनस्पतियों या सुगन्धित वनस्पतियों की संविदा कृषि क्रेता उस मण्डी समिति का जिसके क्षेत्र में वह संविदा कृषि का करार करना चाहता है, निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर करार कर सकेगा।

संविदा करार एक मौसम या एक वर्ष के लिए हो सकेगा, किन्तु 5 वर्षो से अधिक के लिए नहीं होगा। दीर्घावधि वृक्ष फसल की दशा में परस्पर तय की गई कालावधि के लिए हो सकेगा।

एकल अनुज्ञापत्र

एक मण्डी से अधिक मण्डियों में व्यवसाय करने हेतु एकल अनुज्ञापत्र की सुविधा उपलब्ध है।

वैकल्पिक बाजार – सब ई–मार्केट

कृषको को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो, इस हेतु सब ई–मार्केट की व्यवस्था की गई है जिससे कृषकों को इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म के रूप में वैकल्पिक बाजार उपलब्ध हो सकेगा। यह किसानों, प्रोसेसर, कारोबारियों के लिए एक वैकल्पिक बाजार होगा। जहॉ वे अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेच सकेंगें। इस बाजार में विभिन्न कृषि जिन्सों के हाजिर सौदे होगें। इनमें वायदे सौदे अर्थात फ्यूचर ट्रैडिंग नहीं होगी। प्राईवेट ई–सब मार्केट ऑन लाइन स्क्रीन आधारित व्यवसाय की सुविधा उपलब्ध करवायेगा। वी सेट, लीज्ड लाईन या इन्टरनेट के जरिये इससे जुडा जा सकेगा। व्यवसाय के इन सौदों की डिलीवरी अनिवार्य होगी। प्राईवेट सब ई–मार्केट में देशभर के प्रोसेसर, कारोबारी प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बिना किसी बिचौलिया के बिना गुणवत्ता जोखिम के कृषि उत्पादों का क्रय–विक्रय होगा। इस बाजार की एक खास बात यह होगी कि इसमें कृषि उत्पादों की बाकायदा ग्रेडिंग व मानकीकरण होगा। कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मानकीकरण के मापदण्ड निदेशक, कृषि विपणन द्वारा निर्धारित किये जावेगे। यहॉ किसानों और व्यापारियों को वेयर हाउस रसीद पर ऋण भी सुलभ हो सकेगा। नियमों में यह भी व्यवस्था की गई है कि कृषक को उसकी उपज का भुगतान विक्रय दिवस को ही हो। कृषक को उसकी उपज का भुगतान विक्रय दिवस को ही न होने पर उसे 5 दिवस तक एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज के साथ भुगतान हो सकेगा।

मण्डी प्रांगणों में दुकान/भूखण्ड आवंटन

- मण्डी प्रांगणों में भूखण्ड/दुकान आवंटन हेतु आवंटन नीति दिनांक 25.04.2005 से प्रभावी।
- प्रथम चरण में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान ।
- द्वितीय व अग्रिम चरणों का आवंटन मण्डी की निकटस्त डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत दर पर मण्डी प्रांगण की पृथक से डी.एल.सी निर्धारित होने पर डी.एल.सी की 100 प्रतिशत दर पर आवंटन
- आवंटन 99 वर्षीय लीज पर, आवंटित दुकान/भूखण्ड की छत का अधिकार आवंटी का होगा।
- उपलब्ध फुटकर दुकानों/भूखण्डों में से 30 प्रतिशत अनु.जाति/जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान।
- पूर्व में किराये पर दी हुई दुकानों को लीज में परिवर्तन का प्रावधान।
- मासिक किराये पर आवंटित दुकान को लीज में परिवर्तन नहीं कराये जाने पर देय किराये में दिनांक 01.04.2008 से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढोतरी का प्रावधान।
- मण्डी यार्डो मे उपलब्ध दुकार्नो/भूखण्डों में से 20 प्रतिशत दुकान/भूखण्ड महिला कृषक को आवंटन हेतु आरक्षित, इनमें से 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आवंटन का प्रावधान।
- जिन्स विशिष्ठ मण्डी प्रांगणों में लॉटरी प्रकिया से डी.एल.सी. की 50 प्रतिशत दर पर भूखण्ड आवंटन का प्रावधान/कुल उपलब्ध भूखण्डों में से 25 प्रतिशत भूखण्ड कृषि जिन्सोके निर्यातकों, राज्य से बाहर के व्यवसाई, जिन्स विशिष्ठ की मूल्य संबंधी औद्योगिक ईकाई व उत्पादों के सीधे निर्याताकों हेतु भूखण्ड आरक्षित कर आवंटन का प्रावधान

- कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित औद्योगिक ईकाई, पेट्रोल पम्प व बड़े कृषि संबंधी व्यावसायिक शोरूम के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान
- मण्डी की चारदिवारी पर गेर विज्ञप्त कृषि जिन्सों के व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक भूखण्डों का निलामी द्वारा निस्तारण का प्रावधान

मण्डी समितियों के क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़को का निर्माण

कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में अधिकतम 2 से 3 किमी तक की सम्पर्क सड़के (मिसिंग लिंक) जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय की किसी भी योजना में कवर नही होती है तथा ग्राम/कस्बों के अन्दर की सी.सी.सडके जो कृषकों को अपनी कृषि उपज को मण्डी तक लाने हेतु परिवहन के लिए आवश्यक है अर्थात ऐसी सम्पर्क सड़क का निर्माण कृषको के हित में है, इनके निर्माण कार्यो की स्वीकृति के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार एवं मण्डी की सकल बचत में से संस्थापन व्यय प्रशासनिक व्यय एवं निर्माण कार्यो का बकाया दायित्व एवं अन्य अपरिहार्य दायित्वों को घटाने के पश्चात् शेष सकल बचत राशि की 24 प्रतिशत राशि निर्धारित मापदण्डों में आने वाली नवीन सम्पर्क सडकों (मिसिंग लिंक) के निर्माण कराने का प्रावधान है।

सम्पर्क सडके निर्माण पूर्ण होने एवं गारण्टी पीरियड के पश्चात् निर्मित सडके सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के बाद उनकी मरम्मत एवं रखरखाव का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का होगा।

किसान कलेवा योजना –2014

राज्य की विशिष्ठ ''अ'', व ''ब'' व **आर्थिक रूप से सक्षम स व द** श्रेणी की मण्डियों मे आने वाले कृषकों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने हेतु'' किसान कलेवा योजना 2014 लागू की गयी है। मण्डी प्रांगण में संचालित भोजनालय से रियायती दर (5 रूपये) पर भोजन थाली उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त भोजन थाली में 6 चपाती (200 ग्राम आटा), 1 कटोरी दाल तथा सर्दियों मे (अक्टूबर से मार्च) 50 ग्राम गुड एवं गर्मियों में (अप्रैल से सितम्बर) 200 मिली लीटर छाछ (उक्त मीनू में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकेगा) उपलब्ध करायी जायेगी। भोजन के 2 कूपन मण्डी गेट पर कृषि उपज के साथ वाहन के प्रवेश करते समय कृषक को दिये जायेगें।

महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना– 2015

1. यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हमाल एवं पल्लेदार की सहायतार्थ हैं
2. श्रमिक से तात्पर्य मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त हमाल एवं पल्लेदार से है।
3. सहायता हेतु पात्रता कृषि उपज मण्डी समिति में एक वित्तीय वर्ष से पूर्व की अनुज्ञप्ति प्राप्त कार्यरत हमाल एवं पल्लेदार।
4. प्रसूति सहायता :–

(अ) महिला अनुज्ञप्तिधारी हमाल एवं पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान देय होगा।

(ब) पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु क हमाल/तुलारा/पल्लेदार पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान।

5. विवाह के लिये सहायता–अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह एवं अनुज्ञप्तिधारी महिला की दो पुत्रियों की सीमा तक रू 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) प्रति विवाह सहायता।
6. मेघावी छात्रवृति छात्र पुरस्कार योजना– प्रत्येक ऐसा छात्र जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है एवं जिसके अभिभावक मण्डी में अनुज्ञापत्रधारी हमाल या पल्लेदार है, उनको 2000/–रू से 6000/– रूपये तक प्रति छात्र मेघावी छात्रवृति दी जायेगी –
7. चिकित्सा सहायता–अनुज्ञप्तिधारी हमाल अथवा पल्लेदार को गंभीर बीमारी होने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू. 20,000/–(बीस हजार रूपये मात्र) की सीमा तक स्वीकृत की जायेगी।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

राज्य में कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विक्रय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु अथवा अंग–भंग होने पर ''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना '' के अन्तर्गत निम्नानुसार सहायता राशि देय है।

क्र.स.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता राशि (राशि रूपयों में)
1	मृत्यु होने पर आश्रित को	200000/–
2	दो अंग, जैसे दोनो हाथ, दोनो पांव, दोनो आंख, कोई एक–एक अलग से कटने पर	50,000/–
3	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा में जाने पर	50,000/–
4	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी–स्केलपिंग होने पर	50,000/–
5	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केलपिंग होने पर	25,000/–
6	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा, बांह आदि के अंग–भग होने पर ।	25,000/–
7	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	20,000/–
8	तीन अंगुली कट जाने पर	15,000/–
9	दो अंगुली कट जाने पर	10,000/–
10	एक अंगुली कट जाने पर	5,000/–

3. विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों/कार्मिकों के नाम, टेलीफोन नम्बर तथा उनके द्वारा संपादित कार्यो का विवरण ।

क्र.स.	अधिकारी	दुरभाष नं. कोड नम्बर	संपादित कार्यो का विवरण
1	निदेशक	0141—2227115	विभागाध्यक्ष
2	अतिरिक्त निदेशक	0141—2227835	कार्यालय अध्यक्ष
3	मुख्य लेखाधिकारी	0141—2227850	मण्डी समितियों सहित वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के परिक्षण तथा अकेक्षण संबंधी कार्य।
4	संयुक्त निदेशक	0141—2227835	मण्डी समितियों में कृषि प्रस्करण नीति, संबंधित, मण्डी कर्मचारी संस्थापन से संबंधित प्रशासनिक कार्यो का संचालन
5	संयुक्त निदेशक	0141—2227640	मण्डी समितियों में आवंटन संबंधित मझउी कर्मचारी पेंशन कार्य, जन अभाव अभियोग प्रकोष्ट पत्र प्राप्ति/प्रेषण शाखा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि/हजार्ड फण्ड से संबंधित प्रशासनिक कार्यो का संचालन
6	उप निदेशक	0141—2227640	विभागीय अधिकारिया/कर्मचारियों के संस्थापन संबंधित कार्यो का संचालन
7	उप निदेशक	0141—2227640	नियमन संबंधित कार्यो का संचालन
8	उप निदेशक	0141—2227640	मोनेटरिंग संबंधित कार्यो का संचालन
9	सहायक निदेशक	0141—2227640	मण्डी शुल्क अपवंचन रोकथाम संबंधी कार्य, स्टोर अनुभाग, टाईम निरीक्षण एवं दौरे
10	सहायक निदेशक	0141—2227640	मण्डी समितियों एवं विभागीय कर्मियों के विरूद्व प्राप्त शिकायतों की जांच एवं भूमि आवप्ति संबंधित कार्यो का संचालन
11	विपणन अधिकारी	0141—2227640	भूमी अवाप्ति, सर्वे एवं सर्तकता कार्यो का संचालन
12	विपणन अधिकारी	0141—2227640	नियमन संबंधी कार्यो का संचालन
13	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, खण्ड जयपुर	0141—2330113	खण्ड की अधीनस्थ मण्डी समितियों पर नियंत्रण एवं मण्डी शुल्क अपवचंन रोकथाम संबंधी कार्य
14	क्षेत्रीय उप निदेशक, खण्ड अजमेर	0145—2441891	उक्तानुसार
15	क्षेत्रीय उप निदेशक, खण्ड अलवर	0144—2372379	उक्तानुसार
16	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, खण्ड बीकानेर	0151 — 2250939	उक्तानुसार
17	क्षेत्रीय उप निदेशक, खण्ड हनुमानगढ	01552 — 265441	उक्तानुसार

18	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, खण्ड जोधपुर	0291 – 2574178	उक्तानुसार
19	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, खण्ड कोटा	0744–2364022	उक्तानुसार
20	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, खण्ड सीकर	01572–245661	उक्तानुसार
21	क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, खण्ड श्रीगगांनगर	0154–2471885	उक्तानुसार
22	क्षेत्रीय उप निदेशक, खण्ड उदयपुर	0294 – 2583254	उक्तानुसार

4. नागरिकों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रकिया एवं आवश्यक दस्तावेजों का विवरण एवं उन्हें प्राप्त तथा प्रस्तुत करने की प्रकिया व स्तर एवं सेवा प्रदान करने का शुल्क(यदि लागू हो) का विवरण तथा उसे उपलब्ध कराने की समयावधि का उल्लेख एवं प्रकिया।

(अ) अनुज्ञापत्र प्राप्त करना

	निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	विशेष विवरण
क वर्ग दलाल	200 / –रूपये	एक माह	मण्डी प्रांगण में दुकान / भूखण्ड उपलब्ध होने पर
व्यापारी	200 / –रूपये	एक माह	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
पल्लेदार	20 / –रूपये	एक माह	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
संयुक्त व्यापारी	300 / –रूपये	एक माह	मण्डी प्रांगण में दुकान / भूखण्ड उपलब्ध होने पर
सहकारी सोसायटी को सम्मिलित करते हुये कोई व्यक्ति निजी मण्डी यार्ड या निजी उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना हेतु आवेदन कर सकता है।	रू. 50000 / – (अंके पाचस हजार रूपये मांत्र) उस मण्डी समिति को जिसके क्षेत्र में निजी मण्डी यार्ड या निजी उपभोक्ता कृषक मण्डी की स्थापना हेतु आवेदन किया जा रहा है।	विधिवत प्रकिया नियमानुसार पूर्ण करने पर।	विधिवत निर्धारित प्रपत्र में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर।
(ब) अभिलेखों की नकलें प्राप्त करना			
अभिलेख प्रति प्राप्त करना	रूपये 2 / –प्रति पृष्ठ	तीन दिवस	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
निरीक्षण अभिलेख	रूपये 5 / –	तीन दिवस	विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने पर।
(स) राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना			
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना	निःशुल्क	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के एक माह में	दुर्घटना होने से छः माह की अवधि में क्षेत्र की मण्डी समिति में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर।

(द) कृषकों के ठहरने के लिए :–

(i) किसान भवन किराया विवरणिका

क्र. सं.	स्थान	शयन कक्ष	किराया	शयनागार	किराया	पता / दूरभाष
1	जयपुर	17 कमरे (34 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	9 कमरे (54 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	50/–प्रति व्यक्ति	लाल कोठी, टोंक रोंड, जयपुर फोनः 2740094, प्रबन्धक : 9413387999
2	उदयपुर	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	4 कमरे(24 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30/–प्रति व्यक्ति	कृ.उ.म. समिति, उदयपुर बासंवाडा, रोड उदयपुर फोन 2482811
3	जोधपुर	18 कमरे (36 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	12 कमरे (72 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/–प्रति व्यक्ति	फल सब्जी मण्डी, पावटा चौराहा, जोधपुर फोन : 2570633
4	बीकानेर	10 कमरे (20 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	11 कमरे (62 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/–प्रति व्यक्ति	ग्रेन मण्डी, गंगानगर रोड, बीकानेर फोन : 2250986
5	अजमेर	4 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	4 कमरे (23 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/–प्रति व्यक्ति	सब्जी मण्डी, ब्यावर रोड अजमेर फोन 2683121 प्रबंधक 9413387065
6	भरतपुर	10 कमरे (20 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	10 कमरे (40 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/–प्रति व्यक्ति	कृ.उ.मण्डी समिति, कुम्हेर रोड, भरतपुर फोन 222675
7	कोटा	5 कमरे (10 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	3 कमरे (48 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/–प्रति व्यक्ति	भामाशह मण्डी, अनन्तपुरा, कोटा फोन 2490025 प्रबन्धक 9413387066
8	अलवर	4 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	100/–रू प्रतिदिन	2 कमरे (12 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	25/–रू प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति अग्रसेन सर्किल अलवर फोन नं. 2372079
9	धौलपुर	कुल 3	100/–रू प्रतिदिन	3 कुल क्षमता 16 बेड	25/–रू प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति, धौलपुर फोन नम्बर 240682
10	भीलवाडा	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रति कमरा	3 कमरे (40 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/– प्रति व्यक्ति	दारू गोदाम के पास, आर. के. कॉलोन, मण्डी परिसर भीलवाडा

11	टोंक	1 कमरे (2 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रति कमरा	2 होल (1 महिला 1 पुरूष) 16 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/– प्रति बेड	मुख्य मण्डी बस स्टेण्ड के पास, टॉक कार्यालय 01432246750 किसान भवन 01432243999
12	चूरू	4 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/–रू प्रतिदिन	2 कमरे (12 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30/– प्रति व्यक्ति	अनाज मण्डी चूरू, फोन 01562–250242
13	हनुमानगढ	4 कमरे (4 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	100/–रू प्रतिदिन	4 कमरे (40 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	25/– प्रति दिन	नवीन मण्डी प्रांगण कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ जक्शन फोन 260569
		3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	350/– रू प्रतिदिन	4 कमरे (40 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	25/– प्रति दिन	नवीन मण्डी प्रांगण कृषि उपज मण्डी समिति, हनुमानगढ जक्शन फोन 260569
14	दौसा	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	250/– रूपये वातानुकुलित 150 रूपये सामान्य	3 कमरे (18 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	50 रूपये प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति नवीन मण्डी यार्ड दौसा। दुरभाष 01427– 230078
15	बाडमेर	7 कमरे (14 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	100/– प्रतिदिन	3 कमरे (24 व्यक्तियों की क्षमता	25/– प्रति व्यक्ति	एनएच–15 शहीद चौराहे के पास बाडमेर राजस्थान 02982–220025
16	जैसलमेर	8 कमरे (16 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	4 कमरे (24 व्यक्तियों की क्षमता	30/– प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति, ट्रांसपोर्ट चौराहा, जोधपुर रामगढ बाईपास रोड, जैसलमेर
17	पाली	7 कमरे (14 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	4 कमरे (14 व्यक्तियों की क्षमता	30/– प्रति व्यक्ति	गौण मण्डी (फल सब्जी) के सामने रामलीला मैदान के पास पाली प्रबन्धक 94143891873
18	जालोर	5 कमरे (10 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150/– प्रतिदिन	2 कमरे (6,6 कुल 12 व्यक्तियों की क्षमता	30/– प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति, आहोर रोड, जालोर 02973–222346
19	झालावाड	02 कमरे	1 कमरा 500/– प्रतिदिन एवं नॉन ए.सी रूम 200/– प्रति व्यक्ति	4 कमरे 22 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30/– प्रति व्यक्ति	फल एवं सब्जी, मण्डी गौण मण्डी यार्ड, खानपुर रोड झालावाड मो. 9413364388 प्रबन्धक
20	बारा	ए.सी नं. 1	कृषक से 350/–रू प्रतिदिन अन्य से 500/–रू प्रतिदिनं	डोरमेट्री 4 (15 पुरूष बेड, 5 महिला बेड)	कृषक से 15/–रू प्रतिदिन अन्य से 25/– रू प्रतिदिन	किसान भवन मण्डी यार्ड, बारां दूरभाष नं. 07453– 234909 प्रदीप गोतम 9784754393

		ए.सी नं. 2	कृषक से 350 / — रू प्रतिदिन अन्य से 700 / —रू प्रतिदिन	डोरमेट्री 4 (15 पुरूष बेड, 5 महिला बेड)	कृषक से 15 / —रू प्रतिदिन अन्य से 25 / — रू प्रतिदिन	किसान भवन मण्डी यार्ड, बारां दूरभाष नं. 07453— 234909 प्रदीप गोतम 9784754393
21	सवाईमाधोपुर	03 कमरे	150 / — प्रति कमरा	03 कमरे 18 व्यक्तियों की क्षमता सहित	50 प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति, आलनपुर रोड सवाईमाधोपुर 07462—234142
22	बून्दी	02 कमरे ए.सी	कृषक से 350 / —रू0 अन्य से 700 / —रू प्रतिदिन	04 कमरे 15 व्यक्तियों की क्षमता सहित	कृषक से 15 / —रू प्रतिदिन अन्य से 25 / —रू प्रतिदिन	कृषि उपज मण्डी समिति, बून्दी 0747—2443704 प्रबन्धक 94145—20795
23	हिण्डोनसिटी	04 कमरे	1 कमरा 500 / — प्रतिदिन एवं नॉन ए.सी रूम 150 / — प्रतिदिन	02 कमरे 8 व्यक्तियों की क्षमता सहित	30 / — प्रति व्यक्ति	नवीन गौण मण्डी यार्ड करौली कैलादेवी रोड प्रबन्धक 99289—91778
24	झुन्झुनू	4 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	100 / — प्रतिदिन	4 कमरे (16 व्यक्तियों की क्षमता	25 / — प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावा रोड झुन्झुनू प्रबन्धक 9460841771
25	सीकर	7 कमरे (14 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	100 / — प्रतिदिन	3 कमरे (18 व्यक्तियों की क्षमता	25 / — प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी परिसर जयपुर रोड सीकर फोन नम्बर 01572—245999
26	नागौर	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	3 कमरे (20 व्यक्तियों की क्षमता	25 / — प्रति व्यक्ति	कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर बीकानेर जोधपुर बाई पास फोन 240849 प्रबन्धक 9414212460
27	श्रीगगांनगर	5 कमरे (10 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / — प्रतिदिन	3 हाल (38 व्यक्तियों की क्षमता	50 / — प्रति व्यक्ति	सूरतगढ रोड गेट नं. 03 के पास कार्यालय दूरभाष 0154—2470621
28	आबूरोड (सिरोही)	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	ठहरने के लिए उपलब्ध नहीं	1 कमरा (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	ठहरने के लिए उपलब्ध नहीं	कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड फोन 02974— 294208
29	बासवाडा	6 कमरे (12 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / रू प्रतिदिन	2 कमरे (12 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30 / — रू प्रतिदिन	दाहोद रोड ठीकरिया, बॉसवाडा

30	चितौडगढ	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / रू प्रतिदिन	2 कमरे (12 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30 / — रू प्रतिदिन	कृषि उपज मण्डी समिति, चितौडगढ रेल्वे स्टेशन के पास निम्बाहेडा रोड फोन 01472— 241270
31	डूँगरपुर	3 कमरे (4 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / रू प्रतिदिन	4 कमरे (18 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	30 / — रू प्रतिदिन	माथुगामडा रोड डूँगरपुर 232578
32	प्रतापगढ	4 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	250 / रू प्रतिदिन	डोरमेट्र 04 कमरे 50 व्यक्तियों की क्षमता सहित	50 / — रू प्रतिदिन	किसान भवन मुख्य मण्डी प्रांगण प्रतापगढ
		2 कमरे (8 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	150 / रू प्रतिदिन	डोरमेट्र 04 कमरे 50 व्यक्तियों की क्षमता सहित		
33	राजसमन्द	3 कमरे (6 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	100 / — प्रतिदिन	6 कमरे (30 व्यक्तियों की क्षमता सहित)	25 / — प्रतिदिन	कृषि उपज मण्डी समिति, राजसमन्द भीलवाडा रोड कांकरोली जिला राजसमन्द फोन 02952— 230245

(ii) मण्डियों में ठहरने के लिए कृषक विश्राम गृह किराया विवरणिका

क्र.स.	विवरण	दर
1	कृषक	2.00 रू प्रतिदिन
2	मण्डी समिति, कृषि विपणन निदेशालय एवं विपणन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी	10.00 रू प्रति दिन
3	अन्य	20.00 प्रतिदिन

जन अभाव अभियोग / जन समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था

(अ) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत धारा 16 के तहत मण्डी समिति द्वारा किसी लाईसेन्स या उसके नवीनीकरण से इन्कार करने या किसी लाईसेन्स को खारिज या स्थगित करने या अपील आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क एक रूपये के साथ निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

(ब) राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत प्रावधान 34(2) बी के तहत किसी भी भार, मूल्य, शुल्क, किराया या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों का उपविधियों के अधीन कोई मण्डी समिति को देय किसी विवादित राशि में संबंधित व्यक्ति निर्धारित शुल्क एक रूपये के साथ निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(स) कृषको द्वारा तुलाई, अवैध कटौती, मण्डी प्रांगणों में उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं, विक्रय पर्ची एवं भुगतान आदि बाबत शिकायत बिना किसी शुल्क के मण्डी सचिव की उपलब्धता पर उसी दिवस को अन्यथा तीन दिवस में की जा सकती है जिसका निस्तारण एक सप्ताह मे करना होगा।

(द) किसी भी सेवा में कमी या अनियमितता के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा सचिव कृषि उपज मण्डी समिति, खंण्ड स्तरीय क्षेत्रीय सहायक, निदेशक या सीधे निदेशक, कृषि विपणन, पंत कृषि भवन, जयपुर को लिखित में तथ्यों से अवगत कराते हुये कार्यवाही की मांग कर सकता है जिसका निस्तारण तीस दिवस में करना होगा।

सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करना

सूचना के लिए आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के नाम नियमानुसार रू. 10/—नकद या भारतीय पोस्टल ऑर्डर प्रस्तुत करें। विभाग में प्रान्तीय स्तर पर निम्नलिखित अनुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी हैं।

(अ) कृषि विपणन निदेशालय में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर है। अपीलीय अधिकारी प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर है।

(ब) अधिनस्थ क्षेत्रीय खण्डीय कार्यालयों मे संयुक्त/उप निदेशक लोक सूचना अधिकारी है। उनके अपीलीय अधिकारी निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर है।

(स) प्रत्येक कृषि उपज मण्डी समिति में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति वहॉ के लोक सूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रशासक/अध्यक्ष, कृषि उपज मण्डी समिति के अपीलीय अधिकारी है।

कृषकों/व्यापारियों/उपभोक्ताओं से अपेक्षाऐं

कृषक, व्यापारीगण एवं उपभोक्तागण मण्डी प्रांगण को साफ—सुथरा रखने में सहयोग देवे, कृषि जिन्सों के क्रय—विक्रय संबंधी विभागीय नियमों का पूर्ण पालन करें एवं कोई भी कमी नजर आने पर तत्काल विभागीय अधिकारियों को सूचित करें। सभी पक्ष व्यापारिक सौहार्द बनाए रखने मे सहयोग प्रदान करें। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी भी तरह की अनिययमितता की जाती है तो मण्डी प्रशासन को शीघ्र सूचित करना चाहिए।